

रूप क्रमांक २
(देखिये नियम ५)

मध्यप्रदेश शासन



समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

२६१८

यह प्रमाणित किया जाता है कि "सागर डाइ-सी-सिसन सर्विस सोसायटी"
Sagar Diocesan Service Society

स्थित है सागर में, तहसील सागर

जिला सागर, मध्यप्रदेश समिति पंजीयन अधिनियम, १९५९

(सन् १९६० का क्रमांक १) के अधीन २० मितम्बर १९७२

को पंजीयत की गई है।

दिनांक २६/११/७२ माह सितम्बर सन् १९७२

T.C.
सत्यापित प्रति
Mungaly
(मंगला पुरकाम)

असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ
सागर संभाग सागर

अंगार सागर (२५/११/७२)
(गंगापुराद श्रोवास्तव)
समितियों के रजिस्ट्रार



249

प्रारूप-7

जावक क्र 1888/20
दि. 02/3/2021

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन
भासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने का प्रपत्र

1. सोसायटी का नाम और पूरा पता :- सागर डायसिशन सर्विस सोसाईटी (एस. डी. एस. एस.)
2. पंजीयन क्रमांक तथा तारीख :- 2938 28/09/1972
3. साधारण निकाय का वार्षिक सम्मिलन की तारीख :- जून 05/08/2020
4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची कार्यकाल तारीख :- 02/04/2019 से 02/04/2022

क्र.	नाम, पिता/पति का नाम	पता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	जेम्स अतिकलम्	विषप्स हाउस, पी बी नं 32, सागर, म. प्र. - 470 001	अध्यक्ष	विषप	
2	रोजन धिरयत्	विषप्स हाउस, पी बी नं 32, सागर, म. प्र. - 470 001	उपाध्यक्ष	पुरोहित	
3	फ्रीजो सी. एफ.	विषप्स हाउस, पी बी नं 32, सागर, म. प्र. - 470 001	सचिव	पुरोहित	
4	एम्मानुवेल फिलिप	विषप्स हाउस, पी बी नं 32, सागर, म. प्र. - 470 001	कोशाध्यक्ष	पुरोहित	
5	अलेक्स पुलिककापरमविल	विषप्स हाउस, पी बी नं 32, सागर, म. प्र. - 470 001	संयुक्त सचिव	पुरोहित	
6	साबुबों पुत्तेपुराचकल	विषप्स हाउस, पी बी नं 32, सागर, म. प्र. - 470 001	सदस्य	पुरोहित	
7	सिवि सेबास्टियन	विषप्स हाउस, पी बी नं 32, सागर, म. प्र. - 470 001	सदस्य	पुरोहित	

5. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) के अधीन ...2000/- रुपये की वार्षिक फीस चालान क्रमांक 1475391 दिनांक 06/08/2021 के द्वारा जमा कर दी गई है. चालान की मूल प्रति संलग्न है. // घोशणा //

मैं जेम्स अतिकलम् पिता श्री पौलोस आयु 62 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद् द्वारा यह घोशणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम् जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसायटी के अभिलेख मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में है। मैं यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है, तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड की दायी रहूँगा।

हस्ताक्षर

नाम : जेम्स अतिकलम्
(अध्यक्ष/सचिव)-मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपिआरो. रजिस्ट्रार,
कन्सि एवं सस्थाए,
सागर संभाग